# डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
## (पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांकः सम्ब0/ 1400 /2024 दिनांक– 19/04/2024

## कार्यालय–ज्ञाप

माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 19.04.2024 के अनुपालन में स्नातक/परास्नातक एवं विधि महाविद्यालय (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) जिनको सत्र 2023–24 में अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त थी ऐसे समस्त महाविद्यालय सत्र 2024–25 में सम्बद्धता विस्तरण प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित (प्रति पाठ्यक्रम/विषय) सम्बद्धता फीस रू0 25,000/– एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 कुल रू0 29,500/– विश्वविद्यालय के खाता संख्या 50371353938 आई0एफ0एस0 कोड़ IDIB000A528 इण्डियन बैंक, विश्वविद्यालय कैम्पस, आगरा में जमा कर सत्यापित चालान/रसीद के साथ शिक्षक/प्रबन्ध समिति अनुमोदन पत्र एवं अवस्थापना सुविधायें पूर्ण होने का शपथ पत्र सहित सम्बद्धता सम्बन्धी सभी प्रपत्र संलग्न करते हुये पत्रावली दिनांक 15 मई, 2024 तक प्रत्येक दशा में उपल्ब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय को सत्र 2024–25 में सम्बद्धता विस्तरण न होने की दशा में प्रवेश की अनुमति प्रदान नही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व महाविद्यालय प्रबन्धन का होगा।

**उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।**

कुलसचिव

**प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचननार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।**

1. वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2. प्रवेश समन्वयक, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
4. उप–कुलसचिव (सम्बद्धन)।
5. प्रभारी–कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
6. **प्रभारी, वेबसाइट एवं अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को आज ही विश्वविद्यालय की बेवसाइट तथा कालेजों की लॉगिन में अपलोड करने का कष्ट करें।**
7. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

# डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांकः सम्ब0/04/2024 दिनांक– 02.07.2024

## कार्यालय–ज्ञाप

माननीय कुलपति जी के पुनः आदेश दिनांक 01.07.2024 के अनुपालन में स्नातक/परास्नातक एवं विधि महाविद्यालय जिनको सत्र 2023–24 में अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त है ऐसे समस्त महाविद्यालय सत्र 2024–25 में सम्बद्धता विस्तरण प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित **(प्रति पाठ्यकम/विषय)** सम्बद्धता फीस रू0 25,000/– एवं 18 प्रतिशत जी0एसी0टी0 कुल रू0 29,500/– विश्वविद्यालय के खाता संख्या 50371353938 आई0एफ0एस0 कोड़ IDIB000A528 इण्डियन बैंक, विश्वविद्यालय कैम्पस, आगरा में जमा कर सत्यापित चालान/रसीद के साथ शिक्षक/प्रबन्ध समिति अनुमोदन पत्र एवं अवस्थापना सुविधायें पूर्ण होने का शपथ पत्र सहित सम्बद्धता सम्बन्धी सभी प्रपत्र संलग्न करते हुये पत्रावली दिनांक 15 जुलाई, 2024 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय को सत्र 2024–25 में सम्बद्धता विस्तरण न होने की दशा में प्रवेश की अनुमति प्रदान नही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धन का होगा। उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय–आदेश संख्या सम्ब0/1400/2024 दिनांक 19.04.2024 द्वारा भी सूचना प्रेषित की गयी थी।

उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

02/7/24

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचननार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2. प्रवेश समन्वयक, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
4. प्रभारी–कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
5. **प्रभारी, वेबसाइट एवं अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को आज ही विश्वविद्यालय की बेवसाइट तथा कालेजों की लॉगिन में अपलोड करने का कष्ट करें।**
6. अधीक्षक–कुलसचिव कार्यालय।
7. अधीक्षक–सम्बद्धन।
8. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

# डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

## (पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्ब0/ 108 /2024

दिनांक– 18.07.2024

## कार्यालय–ज्ञाप

माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 18.07.2024 के अनुपालन में स्नातक/परास्नातक **(प्रति विषय/पाठ्यक्रम)** एवं विधि महाविद्यालय सत्र 2024–25 में सम्बद्धता विस्तरण प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित सम्बद्धता शुल्क+जी0एसी0टी0 दिनांक **20 जुलाई, 2024** तक पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 19.04.2024, 02.07.2024 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार पत्रावली प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में ऐसे महाविद्यालय जिनके द्वारा दिनांक 20.07.2024 तक शुल्क जमा नही किया जाता है तो ऐसे महाविद्यालय **सम्बद्धता शुल्क+जी0एसी0टी0 एवं दण्ड स्वरूप रू0 10,000/– प्रति विषय/पाठ्यक्रम दिनांक 31.07.2024 तक जमा कर पत्रावली उपलब्ध करायेंगे।** अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय को सत्र 2024–25 में सम्बद्धता विस्तरण न होने की दशा में प्रवेश की अनुमति प्रदान नही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धन का होगा।

उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

18/7/24

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचननार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2. प्रवेश समन्वयक, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
4. प्रभारी–कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
5. **प्रभारी, वेबसाइट एवं अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को आज ही विश्वविद्यालय की बेवसाइट तथा कालेजों की लॉगिन में अपलोड करने का कष्ट करें।**
6. अधीक्षक–कुलसचिव कार्यालय।
7. अधीक्षक–सम्बद्धन।
8. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

# डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
## (पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांकः सम्ब0/223/2024 दिनांकः–26.07.2024

सेवा में,

प्राचार्य/सचिव,
मोतीलाल रामन[redacted]महाविद्यालय,
भदरौली, आगरा। (कालेज कोड़–410)

**विषयः–महाविद्यालय में संचालित परास्नातक पाठ्यकमों में सत्र 2024–25 में सम्बद्धता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या MRM/DBRAU/2024/670 दिनांक 15.07.2024 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा पी0जी0 पाठ्यकम एम0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र) एवं एम0एससी0 (गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान) में छात्र–छात्राओं के शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति आवेदन अग्रसारित कर एम0ए0, एम0एससी0 पाठ्यकम में स्थायी सम्बद्धता पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्थायी सम्बद्धता हेतु शासन द्वारा संचालित अनापत्ति/सम्बद्धता पोर्टल पर आवेदन किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना शासन द्वारा जारी समय–सारिणी के अनुसार विश्वविद्यालय बेवसाइट पर प्रदर्शित कर दी गयी थी। ऑनलाईन पोर्टल पर आपके द्वारा स्थायी सम्बद्धता प्राप्त किये जाने हेतु नियमानुसार आवेदन नही किया गया है। तदोपरान्त आपके द्वारा अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण प्राप्त किये जाने हेतु Reference ID : 5167016139 दिनांक 15-07-2024 के माध्यम से 59,000/– रू0 जमा कर प्रत्यावेदन उपलब्ध कराया गया है, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क प्रति विषय/पाठ्यकम के हिसाब से नही है, यह विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की अवहेलना है तथा प्रत्यावेदन के साथ विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्ब0/1400/2024 दिनांक 19.04.2024, पत्रांक सम्ब0/04/2024 दिनांक 02.07.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार पत्रावली उपलब्ध नही करायी गयी है। महाविद्यालय में विश्वविद्यालय से अनुमोदित बी0एड0 सहित अन्य सभी पाठ्यकमों के शिक्षक कालातीत हो चुके है।

अतः उपरोक्त से अवगत होते हुये विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 19.04.2024, 02.07.2024 एवं पत्रांक सम्ब0/108/2024 दिनांक 18.07.2024 के अनुसार निर्धारित शुल्क के साथ पत्रावली उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सत्र 2024–25 में अस्थायी सम्बद्धता प्रदत्त नही की जायेगी।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय
26/7/24
कुलसचिव

**प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा–अलीगढ़ परिक्षेत्र, आगरा।
2. प्रभारी–कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिकृत एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को महाविद्यालय की लॉगिन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. अधीक्षक–कुलसचिव कार्यालय।
5. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

Affisvlett